न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—84/2013 (2013/00118) वाद पत्र

उनवान

1—मदनलाल आत्मज रामा लौहार निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—भंवरी पुत्री रामा लौहार निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—बंशी आत्मज मांगु लौहार निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—धापु पत्नि मूला लौहार निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—मिश्री आत्मज छग्गु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—उकांर आत्मज छग्गु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—प्रभु आत्मज छग्गु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—छीतर आत्मज हासा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—रता आत्मज नारू गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—बरदा आत्मज मोडा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—बालु आत्मज गोकल गुर्जर निवासी जगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—बालु आत्मज गंगाराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 12.08.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर में वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की खातेदारी कृषि भूमियां स्थित है। वादीगण की साबिक कृषि भूमियां साबिक खाता संख्या 521 में अकिंत साबिक आराजी संख्या 1625/1ग रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा तथा वादी संख्या 1 से 3 के नाम साबिक खाता संख्या 523 में अकिंत साबिक आराजी संख्या 1625/7 रकबा 2 बीघा एवं वादी संख्या 4 के नाम साबिक खाता संख्या 443 में अकिंत साबिक आराजी संख्या 1625/3 रकबा 4 बीघा भूमि स्थित है। प्रमाण में साबिक नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ पेश की है। उक्त वर्णित आराजियात नक्शे में साबिक आराजी संख्या 1625/1ग रकबा 6 बीघा भूमि, विपक्षीगण की साबिक आराजी संख्या 1625/1घ के मध्य आयताकार पट्टी के रूप में दर्ज थी तथा वादीगण की साबिक आराजी संख्या 1625/7 व 1625/3 रकबा क्रमशः [illegible] व 4 बीघा कृषि भूमि विपक्षीगण की आराजी संख्या 1625/1घ व [illegible] आराजी संख्या 1625/1ग व साबिक आराजी संख्या 1625/2 के पश्चिमी तरफ [illegible] से लगती हुई दर्ज है परन्तु उक्त साबिक आराजी संख्या 1625/7 व 1625/3 [illegible] नक्शे में कही इन्द्राज नही किया गया है परन्तु मौके पर वादीगण अपनी उक्त कृषि आराजियात पर साबिक नक्शे के अनुसार ही वर्षो से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर वादीगण ने अपनी कृषि आराजियात के चारो तरफ थोहरो की बाड़ कर रखी है। ग्राम सगरेव का भू प्रबन्ध होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.16 12:19:35 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की साबिक आराजी संख्या 1625 / 1ग के नवीन नम्बर आराजी संख्या 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680 तथा साबिक आराजी संख्या 1625 / 7 के नवीन नम्बर आराजी संख्या 3670, 3671 तथा साबिक आराजी संख्या 1625 / 3 के नवीन नम्बर आराजी संख्या 3672, 3673, 3674 कायम किये गये। भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियो एवं अधिकारियो ने वादीगण की साबिक कृषि भूमियो के नये नम्बर एवं रकबा तो सही कायम किया परन्तु वादीगण की नवीन कृषि आराजी को नवीन नक्शे में उसकी मौके की स्थिति एवं साबिक नक्शे के विपरीत तरमीम कर दिया एवं नवीन नक्शे में वादीगण की भूमि का रकबा साबिक नक्शे में मुकाबले कम कर दिया तथा विपक्षीगण की भूमि को वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में बढ़ा दिया है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी विधिक आदेश के वादीगण की नवीन आराजियात को नवीन नक्शे में साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के विपरीत तरमीम कर देने एवं वादीगण की भूमि का रकबा नवीन नक्शे मे कम कर देने से वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ विवाद बना रहता है तथा प्रतिवादीगण जबरन वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करना चाह रहे है जिससे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। अतः बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की इन्द्राज दुरस्ती की घोषणा सादिर फरमाई जावे कि वादीगण की ग्राम सगरेव में आराजी संख्या 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680 को नवीन नक्शे में प्रतिवादीगण की आराजियात के मध्य साबिक नक्शा एवं मौका अनुसार आयताकार पट्टी के रूप में तरमीम करने एवं नवीन आराजी संख्या 3670, 3671, 3672, 3673, 3674 को नवीन नक्शे में प्रतिवादीगण की आराजियात के पश्चिम में साबिक नक्शे एवं मौका अनुसार तरमीम करने की इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री सादिर फरमाई जावे। साथ ही बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण को अपने कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल नही करे तथा वादीगण को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण वादीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर देवे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के पुनः वादीगण को कब्जा दिलाने की डिक्री सादिर फरमाई जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 29.08.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 9 तहसीलदार रायपुर मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 19.03.2021 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें स्थिति स्पष्ट नही होने से पुनः रिपोर्ट ली गई जो दिनांक 26.07.2021 को प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अकंन किया कि वादीगण की वर्तमान आराजी संख्या 3675 से 36[illegible] है0 आराजी संख्या 3672 से 3674 किता 3 रकबा 0.86 है0 व आराजी संख्या 367[illegible] किता 2 रकबा 0.43 है0 भूमि की रकबा बरारी एवं मौके पर नाम के [illegible] आराजियात पर थोहर एवं पत्थर की कोट कर कब्जा काश्त होकर [illegible] सम्बन्धी कोई विवाद नही है। वादी एवं प्रतिवादी अपनी अपनी आराजियात पर काबि[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.16 12:19:35 IST
Reason: SelfAttested

वाद के समर्थन में वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए साबिक एवं नवीन रेकार्ड पेश किया गया एवं वाद डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं नवीन रेकार्ड का अवलोकन कर तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया तो पाया कि वादी के नाम साबिक रेकार्ड में जितना रकबा खातेदारी में दर्ज था उसी अनुपात में नवीन भू प्रबन्ध के दौरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगणो की खातेदारी में दर्ज करते हुए नवीन नम्बर कायम किये गये। वादीगण का अपने खाते में दर्ज नवीन नम्बरो पर कब्जा है जो गत के मुकाबले सही है जहां तक वादीगण द्वारा अपने वाद में जो कथन किया कि वादीगण का साबिक नक्शे के मुकाबले नवीन नक्शे में तरमीम नही की जो स्वीकार योग्य नही है चुंकि साबिक रेकार्ड में तरमीम होना अलग बात है और उसी तरमीम के अनुरूप ही वादीगण का मौके पर काबिज होना यह अलग बात है अर्थात कही कही तरमीम के विपरीत भी आवंटी/खातेदार कब्जा कर लेते है या आवंटन/खातेदारी से अधिक भूमि पर कब्जा कर लेते है किन्तु राजस्व नक्शे में उतने ही रकबे की तरमीम होगी जितना रकबा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादीगण का कब्जा अगर राजस्व रेकार्ड में दर्ज रकबे की सीमा तक ही कब्जा है और वादीगण के नाम दर्ज आराजियात पर किसी अन्य का कब्जा हो तो मौके अनुसार तरमीम दुरस्ती का प्रकरण बनता है किन्तु इस प्रकरण में वादीगणो के नाम जो नवीन भू प्रबन्ध में जो आराजियात कायम कर राजस्व नक्शे में दर्ज की गई जिसका रकबा गत के मुकाबले नवीन रेकार्ड में दर्ज है और उसी आराजियात एवं रकबे पर वादीगण का कब्जा है। ऐसी स्थिति में इन आराजियात के अलावा अन्य आराजियात से वादीगण को जमीन देना खाते में दर्ज रकबे से अधिक होता है जो रेकार्ड और मौके से भिन्न होता है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वादीगण के नाम जितना रकबा अधिकार अभिलेख (रेकार्ड ऑफ राईट्स) में दर्ज है उतने ही रकबे और खसरा नम्बर पर वादीगण काबिज है तो इस प्रकरण में वादीगणो को किसी प्रकार की सहायता न्यायालय द्वारा दी जाना उचित नही है।

आदेश

अतः न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को प्रमाणित कराने में वादीगण असफल रहने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.08.2021

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.16 12:19:35 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–84/2013 (2013/00118) वाद पत्र

उनवान

1–मदनलाल आत्मज रामा लौहार निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–भंवरी पुत्री रामा लौहार निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–बंशी आत्मज मांगु लौहार निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–धापु पत्नि मूला लौहार निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–मिश्री आत्मज छग्गु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–उकांर आत्मज छग्गु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–प्रभु आत्मज छग्गु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–छीतर आत्मज हासा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–रता आत्मज नारू गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–बरदा आत्मज मोडा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–बालु आत्मज गोकल गुर्जर निवासी जगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–बालु आत्मज गंगाराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9–लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को प्रमाणित कराने में वादीगण असफल रहने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 12.08.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

12-08-2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.16 12:19:35 IST
Reason: SelfAttested